महत्वपूर्ण एवं खास

जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन 22 को

रायगढ़ (आरएनएस)। संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन 22 दिसम्बर को दोपहर 12 बजे से बाल मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रायगढ़ में किया जाएगा। जिला स्तर पर लोक नृत्य, लोक गीत, एकांकी नाटक (हिन्दी भाषा में), शास्त्रीय गायन (हिन्दुस्तानी शैली), बांसुरी वादन (शास्त्रीय संगीत), हारमोनियम वादन (सुगम वादन), वक्तृत्व कला (तात्कालीक भाषण), भरत नाट्यम (शास्त्रीय संगीत नृत्य), कत्थक (शास्त्रीय संगीत) एवं तबला वादन (शास्त्रीय संगीत)का आयोजन किया जाएगा। युवा उत्सव में जिले का कोई भी प्रतिभागी अध्ययनरत, गैर अध्ययनरत, कर्मचारी, अधिकारी भाग ले सकते है। जिनकी आयु 35 वर्ष से अधिक न हो, कलाकार की आयु 1 जनवरी 2019 की स्थिति में न्यूनतम 15 वर्ष एवं 35 वर्ष होना आवश्यक है। संगीतकारों की आयुसीमा निर्धारित नहीं है। कलाकारों को अपने साथ स्वयं का वाद्य यंत्र परिधान एवं अन्य सामग्री लानी होगी। नृत्य गायन एवं वादन विधा में इलेक्ट्रानिक्स वाद्य यंत्र जैसे सिथेंसाइजन मान्य नहीं है। प्रतिभागी को जिले का निवासी होना अनिवार्य है। इस संबंध में अन्य जानकारी के लिए सहायक संचालक खेल एवं युवा कल्याण रायगढ़ कार्यालय में संपर्क कर सकते है।

महिला पहलवान सुदेश को जिला कुश्ती संघ ने दी बधाई

गोंडा मे जीती अखिल भारतीय कुश्ती प्रतियोगिता

रायगढ़ (आरएनएस)। इस चक्रधर समारोह के दौरान नगर मे आयोजित महिला कुश्ती प्रतियोगिता मे सिरमौर बनी हरियाणा के रोहतक की पहलवान सुदेश ने अखिल भारतीय कुश्ती प्रतियोगिता जीतने का कारनामा कर दिखाया है। बीते 30 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले मे आयोजित अखिल भारतीय कुश्ती प्रतियोगिता मे 76 किलोग्राम वजन मे हरियाणा की महिला पहलवान सुदेश के सिर विजय का ताज बंधा है। चक्रधर समारोह मे भी सुदेश ने सभी पहलवानों को पछाड अपनी ताकत का लोहा मनवाया था। उनकी इस नई उपलब्धि पर जिला कुश्ती संघ के अध्यक्ष दिनेश जायसवाल सहित पूरी टीम ने सुदेश को बधाई देते हुये उज्जवल भविष्य की कामना की है। उक्त महिला सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता अखिल भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद बृजभूषण सिंह के संसदीय क्षेत्र गोंडा के नंदीनी नगर मे आयोजित की गई थी।

स्वयं सेवी संगठन एवं संस्था से 4 जनवरी तक आवेदन आमंत्रित

रायगढ़। भारत सरकार द्वारा शहरों, कस्बों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं को आवासीय हॉस्टल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भवन निर्माण हेतु अनुदान सहायता योजना का क्रियान्वयन किया गया है। कामकाजी महिला हॉस्टल योजना का मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक प्रतिबद्धताओं के कारण अपने परिवार से दूर रहने वाले कामकाजी महिलाओं जिसमें अकेली, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता एवं शादीशुदा परंतु अपने पति से दूर रहती हो तथा मां के साथ 18 वर्ष तक की लड़की एवं 5 वर्ष तक के लड़के रह सकते है, उनके लिए सुरक्षित और किफायती आवास की उपलब्धता को बढ़ावा देना है। जिस संबंध में कामकाजी महिला आवास गृह (छात्रावास) योजना के रूप में राज्यों एवं क्रियान्वयन एजेंसियों के माध्यम से संचालित किया जाना है। जिसमें केन्द्रांश, राज्यांश एवं क्रियान्वय एजेंसी का अनुदान अनुपात 60:15:25 का होगा।

छत्तीसगढ़ राज्य को मिले 8 नए आईपीएस अफसर! अब तक का रिकॉर्ड! तीन आईपीएस छत्तीसगढ़ मूल के!

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य को इस बार रिकॉर्ड 8 आईपीएस अधिकारी मिले हैं। इससे पहले कभी इतनी बड़ी संख्या में डायरेक्ट आईपीएस राज्य को नहीं मिले थे। जो की अब तक का बेस्ट रिकॉर्ड है।

छत्तीसगढ़ में आने वाले नए आईपीएस के अफसरों में यूपीएससी में 170वीं रैंक पाने वाले जितेंद्र यादव, 203वीं रैंक हासिल करने वाली अंकिता शर्मा और

571वीं रैंक हासिल करने वाले योगेश पटेल शामिल हैं। येतीनों ही छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं।

इसके अलावा 193वीं रैंक हासिल करने वाले दिल्ली के अन्जेनया वार्षेन्य, 219 वीं रैंक हासिल करने वाले महाराष्ट्र के स्मित लोढ़ा, 228वीं रैंक हासिल करने वाले बिहार के पुष्कर शर्मा, 624वीं रैंक हासिल करने वाले तेलंगाना के येडावेल्ली अक्षय, 779वीं रैंक हासिल करने वाले महाराष्ट्र के चवन किरण गंगाराम शामिल हैं।

एमपी सीएम बड़ा फैसला, 'अब पुलिसकर्मियों को मिलेगा एक दिन का वीकली ऑफ'

कांग्रेस ने विधानसभा के अपने 'वचन पत्र' में पुलिस कर्मियों को सप्ताह में एक दिन का अनिवार्य अवकाश देने की घोषणा की थी.

भोपाल। मध्यप्रदेश में जल्द ही पुलिसकर्मियों को एक दिन का साप्ताहिक अवकाश मिलेगा. प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. वर्तमान में पुलिस कर्मियों को मध्यप्रदेश में साप्ताहिक अवकाश नहीं मिलता. पुलिस कर्मियों की पत्नियों ने इस साल यह मांग उठाते हुए भोपाल सहित कई स्थानों में प्रदर्शन भी किए थे. कांग्रेस ने विधानसभा के अपने 'वचन पत्र' में पुलिस कर्मियों को सप्ताह में एक दिन का अनिवार्य अवकाश देने की घोषणा की थी.

मध्यप्रदेश जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है,'मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बुधवार को यहां पुलिस मुख्यालय में अधिकारियों से चर्चा की और पुलिस बल के लिये साप्ताहिक अवकाश की व्यवस्था करने के निर्देश दिये.' उन्होंने कहा कि पुलिस बल के लिए आपात परिस्थितियों में अवकाश उपयोग नहीं करने पर क्षतिपूर्ति की व्यवस्था हो.

लावारिस हालत में मिले दुपहिया वाहनों को होगी निलामी

रायगढ़। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार झा की पहल से रायगढ़ जिले के थाना कोतवाली, कोतरारोड़, चक्रधरनगर, पुसौर एवं पुलिस चौकी जूटमिल क्षेत्रों में पाये गये दुपहिया एवं बिना नम्बर दुपहिया वाहनों की खुली बोली की प्रक्रिया कर निलामी की जावेगी। पुलिस अधीक्षक श्री झा द्वारा इन थाना/ चौकी प्रभारियों को उनके थाना परिसर में रखे हुये लावारिश वाहनों का विधिवत निराकरण शीघ्र करने के लिये छ.ग. पुलिस अधिनियम की धारा 28 के तहत इस्तगासा संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था एवं राजपत्रित अधिकारियों को उनके पर्यवेक्षण के थाना/चौकी प्रभारियों से मिलकर समस्त प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

इन दिशा निर्देशों का पालन करते हुये नगर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी द्वारा रायगढ़ अनुविभाग के थाना परिसर में रखे लावारिस दुपहिया वाहन क्रमशः थाना सिटी कोतवाली में 82, कोतरारोड़ में 38, चक्रधरनगर में 29, पुसौर में 28 एवं पुलिस चौकी जूटमिल में 05 दुपहिया वाहनों की सूची तैयार करावाकर पृथक-पृथक इस्तगासा एस.डी.एम. रायगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत कराये। एस.डी.एम. रायगढ़ द्वारा दिनांक 05.12.18 को उक्त वाहन के थाना/ चौकी परिसर में रखे होने एवं वाहन पंजीकरण का दस्तावेज प्रस्तुत कर दिनांक 20.12.18 तक प्राप्त करने के संबंध में ईश्तहार जारी किया गया था, किन्तु अब तक कोई भी वाहन स्वामी थाना/ चौकी में उपस्थित नहीं हुये। तदउपरांत अनुविभागीय दंडाधिकारी रायगढ़ द्वारा छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 28 में दिये गये शक्ति का उपयोग करते हुये उक्त वाहनों की नीलामी किये जाने की आम सूचना आदेश जारी किया गया है ।

फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम

रायगढ़ (आरएनएस)। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 1 जनवरी 2019 के संदर्भ में फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम आगामी लोकसभा निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए जारी किया गया है। इनमें 26 दिसम्बर 2018 को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इसी तरह 26 दिसम्बर 2018 से 25 जनवरी 2019 तक दावा/आपत्ति प्रस्तुत करने की अवधि, 11 फरवरी 2019 के पूर्व दावा/आपत्तियों का निराकरण, 18 फरवरी 2019 के पूर्व डाटाबेस का अद्यतनीकरण एवं पूरक सूची का छपाई/मुद्रण तथा 22 फरवरी 2019 मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

उक्त कार्यक्रम के दौरान जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में स्थापित 1467 मतदान केन्द्रों में नियुक्त बूथ लेवल आफिसरों द्वारा घर-घर सत्यापन के दौरान ऐसे मतदाताओं जिनकी उम्र 1 जनवरी 2019 को 18 वर्ष पूर्ण हो गए है उनसे मतदाता सूची में नाम जोड़वाने हेतु फार्म-6 भराया जाएगा। साथ ही महाविद्यालय स्तर में भी ऐसे नए मतदाता जो नाम जोडने् से रह गए है, उन्हें फार्म-6 भरा जाएगा। ऐसे मतदाता जिनकी मृत्यु हो गई हो या स्थाई रूप से अन्यत्र चले गए हो उनके फार्म-7 भरा जाकर मतदाता सूची से नाम विलोपित किए जाने की कार्यवाही की जाएगी एवं मतदाता सूची में जिन मतदाताओं के नाम में त्रुटि/ जन्म तिथि में त्रुटि/पता में सुधार की आवश्यकता हो उनके फार्म-8 भरा जाकर संशोधन की कार्यवाही 25 जनवरी तक की जाएगी।

पुनरीक्षण के दौरान प्राप्त फार्मो का निराकरण 11 फरवरी 2019 तक ऑनलाईन निराकरण पूर्ण किया जाएगा तथा डाटाबेस का अद्यतनीकरण एवं पूरक सूची तैयारी 18 फरवरी 2019 तक करते हुए 22 फरवरी 2019 को पूरक सूची के साथ मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

जिला स्तरीय मैराथन दौड़ 21 को

रायगढ़ (आरएनएस)। जिला स्तरीय मैराथन दौड़ का आयोजन 21 दिसम्बर को प्रातः 7 बजे डिग्री कालेज चौक रायगढ़ से छात्रावास क्रमांक 5 से प्रारंभ होगा। महिला एवं पुरूष वर्ग के विजेता धावको को जिला स्तर पर 10 कि.मी. तथा 20 कि.मी.की दूरी तय करनी होगी। विजेता महिला एवं पुरूष धावकों को प्रथम से दसवें स्थान प्राप्त करने वालों को नगद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं ग्वर्निंग बोर्ड के सदस्यों कृष्ण सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जायेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य साथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विकलांगों के उत्थान के लिए कार्य किया जायेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के मूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

CAREER SCHOOL

HINDI & ENGLISH MEDIUM SCHOOL

स्थापना दिनांक 1 जुलाई 1996

पिछले 22 वर्षों से लगातार बच्चों के साथ...

ADMISSION OPEN

ENGLISH MEDIUM

For Nuresery to 10th

Topper Students Last Session

Topper Students Last Session

Join CAREER...

Major Facts

1/ Well Qualified Teachers....
2/ A perfact ratio of Techers and Students regarding classes...
3/ Complete Caring Atmosphere.
4/ Good and Equipped Class rooms....
5/ Value based education like daily classes for Logical Maths, G.K.,English Grammar....
6/ CCTV equipped School...
7/ Scientific and Cultural Activities Every Saturday....
8/ And above all Attention on Each and Every Student of the School....

CAREER SCHOOL
ENGLISH MEDIUM
BEHIND STADIUM STREET
RAIGARH C.G.
07762-221359

तत्काल आवश्यकता है

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र हेतु कम्पयूटर ऑपरेटर, सर्वे करने के लिए, बंडल कार्य हेतु, एवं रिपोर्टर/संवाददाता रायगढ़ एवं जशपुर जिले के लिए तत्काल चाहिए ... संपर्क करें...

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग.
मो. नं. 9039961090

ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यूज पेपर प्रिंटिंग

वेस्ट जर्मनी की ऑफसेट मशीन *हेडलबर्ग* से 4 कलर की सभी तरह की प्रिंटिंग होती है। प्रिंटिंग जॉब हेतु सम्पर्क करें ....

न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9589876400

न्यायसाक्षी समाचार- पत्र की खरसिया, सारंगढ़, पुसौर, मनार, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव लुड़ेग, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में एजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें।

स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़, छ.ग.
संपर्क करें मो.नं. 9039961090

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480